न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या — 287 / 2024

अनवान : —

1. आत्माराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

— सायल

बनाम्

1. अंकित कुमार पुत्र सुलतान सिह जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. मुंशीराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. महेश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. मांगेराम पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
5. रामस्वरूप पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
6. लालचन्द पुत्र सांवतराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
7. सचिन पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
8. सुलतान पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
10. उपंजीयक कार्यालय उप तहसील रामगढ़ तहसील नोहर।
11. अधिशाषी अभियंता विधुत विभाग नोहर।

— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :— 1. श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **सायल**
2. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 05/06/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 165 / 147 की कुल 5.2370 हैक्ट भूमि रावताराम व गैरसायलान के नाम दर्ज है।

सायलान के पिता रावताराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान राजेन्द्र, महेन्द्र, विमला, सुलोचना व आत्माराम हुए राजेन्द्र पुत्र रावताराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस तरतीबी गैरसायल स0 14 है व विमला पुत्री रावताराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिस गैरसायल स0 15 ता 16 है। रावताराम के नाम दर्ज भूमि के सायल व गैरसायल स0 12, 13, 14 प्रत्येक का 1 / 20 हिस्सा, गैरसायल स0 15 ता 16 का संयुक्त रूप से 1 / 16 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। सायल जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि मुश्तरका [illegible] कारण सायल व गैरसायलान का आपस में विवाद रहता है। गैरसायलान [illegible] किस्म की भूमि पर कब्जा साबित करके विधुत कनेक्शन लेना [illegible] भूमि को मुन्तकिल [illegible]की धमकी देते है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब जो[illegible]ते है तो अपूर्णीय क्ष[illegible]यल को होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 16:29:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इसलिए गैरसायलान के खिलाफ इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की जब तक उक्त भूमि का खाता व लगान न हो तब सीवं व डोल न तोड़े व विधुत कनेक्शन न लेवें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 165/147 की कुल 5.2370 हैक्ट भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी इस आशय का पेश किया गया की गैरसायलान द्वारा संयुक्त खाता की भूमि में निर्माण किया जा रहा है जिससे दावा का मकसद ही खत्म हो जायेगा इसलिए गैरसायलान को निर्माण कार्य हेतु निषिद्ध किया जावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 व 7 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि का 60–70 वर्षो पहले बुजूर्गो के समय से ही बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज है प्रार्थी उत्तरदाता की हिस्से पर ढाणी बनी हुई है तथा टयूबैल भी लगा रखा है अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है इसलिए प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को पाबन्द करवा पाने के अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज़ फरमावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की वाद भूमि मुश्तरका खाता मे दर्ज होने के कारण सायल व गैरसायलान का आपस में विवाद रहता है। गैरसायलान जो की तेज तर्रार व्यक्ति है अच्छी किस्म की भूमि पर कब्जा साबित करके विधुत कनेक्शन लेना चाहते है तथा वाद भूमि को मुन्तकिल करने की धमकी देते है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब जो जाते है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी। इसलिए गैरसायलान के खिलाफ इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की जब तक उक्त भूमि का खाता व लगान न हो तब सीवं व डोल न तोड़े व विधुत कनेक्शन न लेवें तथा निर्माण कार्य न करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की उक्त भूमि का 60–70 वर्षो पहले बुजूर्गो के समय से ही बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज है प्रार्थी उत्तरदाता की हिस्से पर ढाणी बनी हुई है तथा टयूबैल भी लगा रखा है अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है इसलिए प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को पाबन्द करवा पाने के अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 165/147 की कुल 5.2370 हैक्ट भूमि गैरसायलान रावताराम व रावताराम जो की सायल का पिता है के नाम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण [illegible] भूमि पर काबिज होकर बेचान व निर्माण करना चाहते है। अप्रार्थीगण का कथन [illegible] से निर्मित ढाणी है उसमें सुधार कर रहे है। उक्त कथनानुसार अगर [illegible] किया जाता है तो प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकी मुश्तरका खाता में [illegible] काश्तकार अपने हक व हिस्सा को रहन,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 16:29:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बैय करने हेतु स्वतंत्र है लेकिन बिना विभाजन करवाये कृषि भूमि में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के निर्माण/अकृषि कार्य किया जाता है अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी क्योंकि उक्त भूमि मुश्तरका दर्ज है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष मे बनता है। जब प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी आशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अतः बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के निर्माण/अकृषि कार्य हेतु उभयपक्षों को पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 165/147 की कुल 5.2370 हैक्ट भूमि के ताफैसला वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के निर्माण/अकृषि उपयोग न करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 05/06/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 16:29:33 IST
Reason: SelfAttested